निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 155/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बन्शीलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री गंगा सहाय शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी मीठाकुआ, ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री शिव चरण शर्मा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण ।
2. रामअवतार पुत्र स्व. गंगा सहाय शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी मीठाकुआ, ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
3. प्रभू नारायण शर्मा पुत्र स्व. गंगा सहाय शर्मा जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी मीठाकुआ, ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 15/2023 उनवानी बंशीलाल शर्मा बनाम रामअवतार व अन्य को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री सूरज शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री कुलदीप किशोर अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 19.02.2024

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 15/2023 उनवानी बंशीलाल शर्मा बनाम रामअवतार व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवता श्री कुलदीप किशोर ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया । बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यवाही विधि अनुसार नहीं की जा रही है। उक्त प्रकरण तकासमा से संबंधित है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि वाद ग्रस्त सम्पत्ति का विधि अनुसार बंटवाडा कर दिया जावे और प्रार्थी को प्रतिवादी की इच्छा पर विधिक बंटवारा की भूमि दे दी जावे, परन्तु न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा यह

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

अवगत कराया गया कि प्रतिवादी सहमत होंगे तभी कार्यवाही होगी अन्यथा नहीं । उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के पीठासीन अधिकारी ग्राम कानोता के रिश्तेदार है तथा वादी व प्रतिवादी के समाज से होने के कारण प्रतिवादी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी पर प्रभाव रखते है इस कारण प्रार्थी को सही न्याय की उम्मीद उक्त पीठासीन अधिकारी से नहीं है । ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में कानूनन हस्तान्तरण किया जाना न्यायोचित है। उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी का ससुराल ग्राम कानोता तथा पीठासीन अधिकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एक ही समाज के है तथा प्रतिवादीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी के ससुराल से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का भलीभांति मेल जोल है, इस कारण मुकदमें की कार्यवाही को प्रभावित करते है ओर वादी को उक्त पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नही होने से प्रकरण का हस्तान्तरण किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

4. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र झूंठे व कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा उत्तरदाता अप्रार्थीगण एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर के पीठासीन अधिकारी पर आपसी सम्पर्क होने का अनर्गल आरोप लगाया गया है । उत्तरदाता अप्रार्थीगण को इस तथ्य की कोई जानकारी नही है कि पीठासीन अधिकारी का ससुराल कानोता में है। उक्त प्रकरण में उत्तरदाता अप्रार्थीगण के पक्ष में पीठासीन अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि पीठासीन अधिकारी उत्तरदाता अप्रार्थीगण के प्रकरण में विशेष रूचि ले रहा हो अथवा उत्तरदाता अप्रार्थीगण को कोई अनुचित लाभ प्रदान कर रहा है। प्रार्थी ने काल्पनिक एवं झूठे कथनों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने एवं प्रार्थी को परेशान करने के उद्देश्य से बड़ी–बड़ी तारीख पेशी लेने की कोशिश में रहता है तथा मामले को अनावश्यक रूप से लम्बित किया जा रहा है। अप्रार्थीगण अपने कानूनी हक व अधिकारों से महरूम हो रहे है । अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

5. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. उपखण्ड अधिकारी बस्सी के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। पीठासीन अधिकारी का ससुराल कानोता में होना पत्रावली का अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का कोई आधार नही है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 सगे भाई है । प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

7. उपखण्ड अधिकारी बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सनुवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाकर यथा सम्भव अधिकतम 3 माह में मैरिट पर निस्तारण किया जावे।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)